न्यायालय- समक्ष-माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रु. TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 INDIA दस रुपये TEN RUPEES

विलोपित

273

R. 2323-III/13

उमराव खान, आभि० / श्री रवीन्द्र चतुर्वेदी

द्वारा आज दि. 19.6.13 को

प्रस्तुत 19.6.13

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सचिव क्लब भवन छटन कैंप उमरिया द्वारा धीरज कुमार सोनी निवासी-उमरिया, तहसील-बांधवगढ़ थाना उमरिया, जिला-उमरिया (म.प्र.) -- आवेदक

बनाम

(1) मध्य प्रदेश शासन

(2) सुनील तिवारी पिता शिवभूषण तिवारी निवासी ग्राम- चन्दिया, तहसील चन्दिया, थाना चन्दिया, जिला उमरिया (म.प्र.) (शिकायतकर्ता) ---- अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय कलेक्टर उमरिया के रा0प्र0क्र0-20/स्व.पुन0/11-12 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2013,

---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं. 1959,

मान्यवर,

निगरानीकर्ता निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि:-

19/6/013

निगरानी का संक्षेप

(1) यह कि, ग्राम- छटनकैंप तहसील-बांधवगढ़, की आराजी ख.नं. 1579/1 जुज रकवा 0.026, 1580/1 रकवा 0.029, 1599/1क/1 जुज रकवा 0.078 हेक्टर किता 3 कुल रकवा 0.133 हेक्टर पर क्लब व भवन निर्मित है । उक्त भूमि पूर्व में रीवा कोल फील्ड के कब्जे में थी । कोल फील्ड के द्वारा उपरोक्त भूमि पर कोल कम्पनी ने भवन (क्लब) का निर्माण कराया था, तत्पश्चात् समिति को सार्वजनिक उपयोग के लिये 1953-54 के पूर्व ही अन्तरित कर दी थी । तब से निरन्तर क्लब भवन का उपयोग उमरियावासियों के द्वारा किया जा रहा है । तत्कालीन हल्का पटवारी के द्वारा खसरा रोस्टर के समय क्लब भवन अंकित न करने के कारण मंगल क्लब भवन सचिव के द्वारा एक आवेदन प्रविष्टि दुरूस्त करने के लिये वर्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2323-तीन/2013 जिला उमरिया

सचिव क्लब भवन विरूद्ध म.प्र.शासन व सुनील

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019 16.01.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्रमांक 20/स्व.पुन./2011-12 में पारित आदेश दिनांक 14-05-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 19-06-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

16.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य